देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक –2018/J09/25/JPR/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 25 सितम्बर 2018

किसी प्लाट पर कब्ज़ा करना हो तो पुलिस को पार्टनर बनाइये क्यूंकि.....

आज के ज़माने की कहावत है ....जिसकी पुलिस!उसकी भैस!

कहने को तो पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए होती है,(शायद करती भी होगी),परन्तु जैसे ही कोई रुपयों का सूटकेस इनकी तरफ करता है बेझिझक परवाह अपना उसको आम ही करने का देती जीता उदाहरण

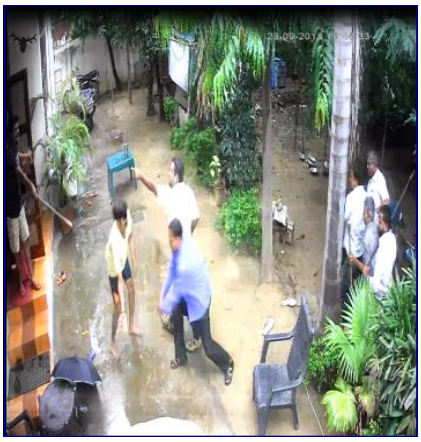

यह किसी की किये बगैर ईमान सौप कर आदमी को प्रताड़ित सौदा कर है|जिसका जागता राजधानी क्षेत्र के करणी विहार थाने का है|जहाँ 20-25 गुंडों द्वारा दिन-दहाड़े दोपहर के चार बजे घर में घुसकर पुरे परिवार को मारकर जमीन पर कब्ज़ा किया गया|तीन घंटे के इस तांडव में पुलिस को सैकड़ों बार फ़ोन किया गया परन्तु महज दो किलोमीटर दूर स्थित थाने से पुलिस को आने में एक घंटा लग गया,पुलिस आई भी तो वारदात स्थल पर मौजूद , उन 20-25 गुंडों को तो गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन गुंडों ने जिसे जान से मारने की कोशिश करी,उसे ही गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गयी|पुलिस के जाने के बाद उन गुंडों ने वापस अपना तांडव शुरू कर दिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मौके पर जे.सी.बी. लाकर पुरे प्लाट की दीवार तोड़ दी,जे.सी.बी. अंदर घुसा कर समस्त निर्माण को ध्वस्त कर दिया,गार्डन में लगे 50-60 पेड़ों को जड से उखाड़ कर फैक दिया,प्लाट में रखे सामान को तोड़-फोड़ दिया,प्लाट में बने मुर्गे-मुर्गियों के बाड़े को उठा कर फैक दिया जिससे कई मुर्गियां मर गयी और कई को गुंडे अपने साथ लूट कर ले गए|लगभग तीन घंटे चले इस घटना क्रम में पीड़ित का परिवार इन गुंडों से अपनी जान बचा कर अपने घर के एक कमरे में डरा सहमा कैद रहा,बाहर गुंडे उन्हें ललकारते रहे,परिवार की महिला सदस्य बार बार पुलिस को फोन करती रही परन्तु पुलिस यही जवाब देती रही की जाप्ते को भेज दिया गया है|इस दिन दहाड़े हुई घटना में पूरा मोहल्ला तमाशाबीन की तरह अपने घरों से इस तांडव को देखता रहा|

विवाद का कारण

इस घटना की कहानी एक विवादित प्लाट 86 जगदम्बा नगर,हीरापुरा पॉवर हाउस के पीछे का है|जो की ग्राम गिरधारी पूरा के खसरा न. 117 में स्थित है|इस खसरे और अन्य खसरों पर अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदम्बा नगर A और B विकसित है,परन्तु इस योजना की लगभग 10 बीघा जमीन पर काश्तकार और सोसाईटी के मध्य कोर्ट में विवाद चला आ रहा है,जिससे खसरा न. 117 और अन्य खसरों पर राजस्व मंडल अजमेर का स्टे होने से यह विवादित रहे है,और पूरी योजना में जे.डी.ए. के पट्टे होने के बावजूद इस खसरे पर स्थित भूखंडों पर जे.डी.ए. द्वारा पट्टे नहीं बांटे है|पीडित परिवार के मुखिया महावीर सिंह तंवर के अनुसार उनकी माताजी ने यह प्लाट कास्तकार से ख़रीदा और 2005 से इस प्लाट पर काबिज है,जबकि हमलावर पक्ष के किशन सिंह बारहट के अनुसार उनके पास अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति का पट्टा है|

पीड़ित परिवार के मुखिया के अनुसार वह और उनका परिवार 2005 से इस प्लाट पर काबिज है परन्तु विगत 2-3 महीनों से किशन सिंह बारहट अपने विभिन्न साथियों के आकर इस प्लाट पर कब्ज़ा लेने का दबाव बनाने लगा,नहीं देने पर बल पूर्वक काबिज होने की धमकी भी दी जाने लगी ,धीरे-धीरे उनके साथ आने वाले आदमियों की संख्या बढती गयी और वह लोग दादागिरी भी करने लगे|

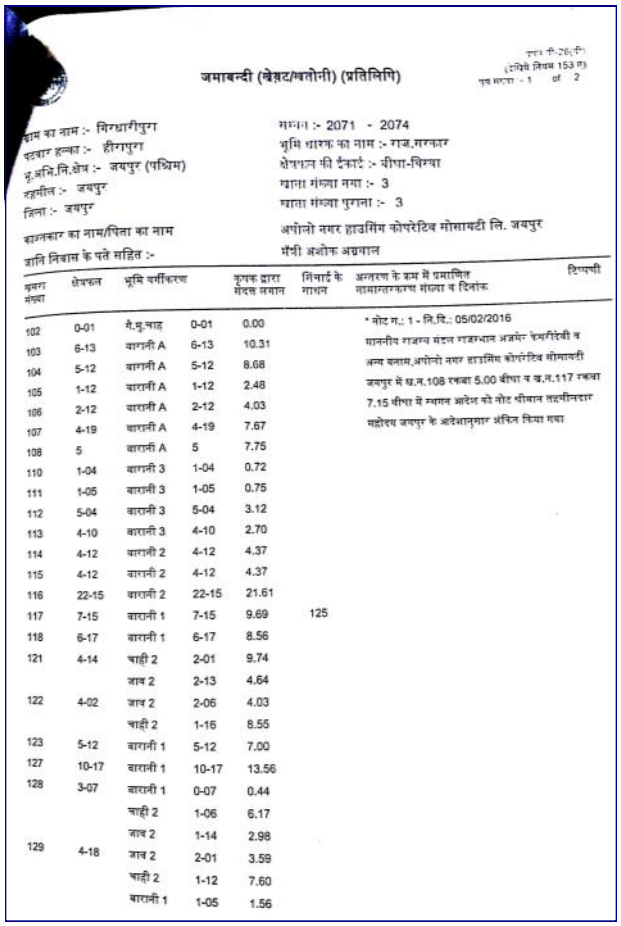

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

(नियम 153 ए)
पृष्ठ संख्या - 1 of 2

ग्राम का नाम :- गिरधारीपुरा
पटवार हल्का :- हीरापुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जयपुर (पश्चिम)
तहसील :- जयपुर
ज़िला :- जयपुर
काश्तकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित :-

संवत :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा
खाता संख्या नया :- 3
खाता संख्या पुराना :- 3
अपोलो नगर हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर
मंत्री अशोक अग्रवाल

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा देय लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
102	0-01	गै.मु.नाड़	0-01	0.00			
103	6-13	बारानी A	6-13	10.31			
104	5-12	बारानी A	5-12	8.68			
105	1-12	बारानी A	1-12	2.48			
106	2-12	बारानी A	2-12	4.03			
107	4-19	बारानी A	4-19	7.67			
108	5	बारानी A	5	7.75			
110	1-04	बारानी 3	1-04	0.72			
111	1-05	बारानी 3	1-05	0.75			
112	5-04	बारानी 3	5-04	3.12			
113	4-10	बारानी 3	4-10	2.70			
114	4-12	बारानी 2	4-12	4.37			
115	4-12	बारानी 2	4-12	4.37			
116	22-15	बारानी 2	22-15	21.61			
117	7-15	बारानी 1	7-15	9.69	125		
118	6-17	बारानी 1	6-17	8.56			
121	4-14	चाही 2	2-01	9.74			
		जाव 2	2-13	4.64			
122	4-02	जाव 2	2-06	4.03			
		चाही 2	1-16	8.55			
123	5-12	बारानी 1	5-12	7.00			
127	10-17	बारानी 1	10-17	13.56			
128	3-07	बारानी 1	0-07	0.44			
		चाही 2	1-06	6.17			
		जाव 2	1-14	2.98			
129	4-18	जाव 2	2-01	3.59			
		चाही 2	1-12	7.60			
		बारानी 1	1-05	1.56			

* नोट न.: 1 - लि.दि.: 05/02/2016
माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर केसरीदेवी व अन्य बनाम,अपोलो नगर हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी जयपुर में ख.न.108 रकबा 5.00 बीघा व ख.न.117 रकबा 7.15 बीघा में स्थगन आदेश को नोट श्रीमान तहसीलदार महोदय जयपुर के आदेशानुसार अंकित किया गया

जमा बंदी के अनुसार माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर केसरी देवी व अन्य बनाम,अपोलो हाउसिंग कोपरेटिव सोसाईटी जयपुर में ख.न.108 रकबा 5.00 बीघा व ख. न. 117रकबा 7.15 बीघा में स्थगन आदेश है|

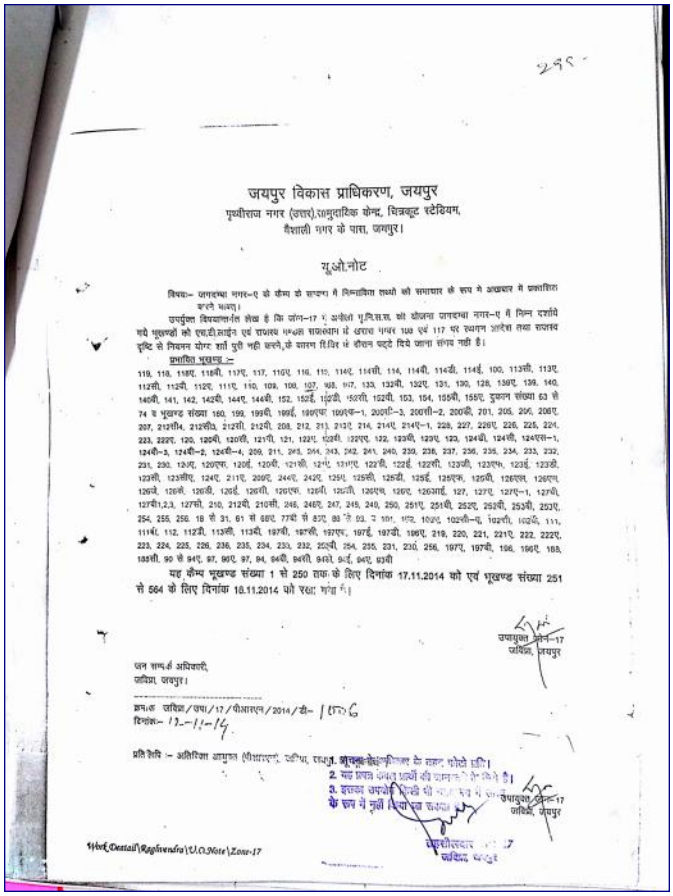

२९९

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
पृथ्वीराज नगर (उत्तर),सामुदायिक केन्द्र, चित्रकूट स्टेडियम,
वैशाली नगर के पास, जयपुर।

यू.ओ.नोट

विषयः– जगदम्बा नगर–ए के कैम्प के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्यों को समाचार के रूप में अखबार में प्रकाशित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोन–17 में अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना जगदम्बा नगर–ए में निम्न दर्शाये गये भूखण्डों को एल.डी.लाईन एवं राजस्व मण्डल राजस्थान में खसरा नम्बर 108 एवं 117 पर स्थगन आदेश तथा तकनीकी दृष्टि से नियमन योग्य शर्तें पुरी नही करने,के कारण शिविर में दौरान पट्टे दिये जाना संभव नही है।

प्रभावित भूखण्ड :–
119, 118, 118ए, 118बी, 117ए, 117, 116ए, 116, 115, 114ए, 114सी, 114, 114बी, 114डी, 114ई, 100, 113सी, 113ए, 112सी, 112बी, 112ए, 111ए, 110, 109, 108, 107, 106, 107, 133, 132बी, 132ए, 131, 130, 128, 139ए, 139, 140, 140बी, 141, 142, 142बी, 144ए, 144बी, 152, 152ई, 152डी, 152सी, 152बी, 153, 154, 155बी, 155ए, दुकान संख्या 63 से 74 व भूखण्ड संख्या 180, 199, 199बी, 199ई, 199एफ 199एफ–1, 200सी–3, 200सी–2, 200डी, 201, 205, 206, 206ए, 207, 212सी4, 212सी3, 212सी, 212बी, 208, 212, 213, 213ए, 214, 214ए, 214ए–1, 228, 227, 226ए, 226, 225, 224, 223, 222ए, 120, 120बी, 120सी, 121सी, 121, 122ए, 122बी, 122एए, 122, 123बी, 123ए, 123, 124डी, 124सी, 124एस–1, 124बी–3, 124बी–2, 124बी–4, 209, 211, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 120ए, 120एफ, 120ई, 120बी, 121सी, 121ए, 121ए, 122बी, 122ई, 122सी, 123डी, 123एफ, 123ई, 123डी, 123सी, 123सीए, 124ए, 211ए, 209ए, 244ए, 242ए, 125ए, 125सी, 125डी, 125ई, 125एफ, 125बी, 126एल, 126एम, 126जे, 126के, 126डी, 126ई, 126सी, 126एफ, 126बी, 126जी, 126एच, 126ए, 126आई, 127, 127ए, 127ए–1, 127बी, 127बी1,2,3, 127सी, 210, 212बी, 210सी, 246, 246ए, 247, 248, 249, 250, 251ए, 251बी, 252ए, 252बी, 253बी, 253ए, 254, 255, 256, 18 से 31, 61 से 68ए, 77बी से 83ए, 88 से 93, व 101, 102, 102ए, 102बी–ए, 102सी, 102डी, 111, 111बी, 112, 112डी, 113सी, 113डी, 197बी, 197सी, 197एफ, 197ई, 197डी, 196ए, 219, 220, 221, 221ए, 222, 222ए, 223, 224, 225, 226, 236, 235, 234, 233, 232, 252बी, 254, 255, 231, 230, 256, 197ए, 197बी, 196, 196ए, 185, 185सी, 90 से 94ए, 97, 96ए, 97, 94, 94बी, 94सी, 94डी, 94ई, 94ए, 93बी

यह कैम्प भूखण्ड संख्या 1 से 250 तक के लिए दिनांक 17.11.2014 को एवं भूखण्ड संख्या 251 से 564 के लिए दिनांक 18.11.2014 को रखा गया है।

उपायुक्त जोन–17
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा/17/पीआरएन/2014/डी– 1856
दिनांक– 12–11–14

प्रति लिपि :– अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), जविप्रा, जयपुर

1. सूचना अधिकार के तहत फोटो प्रति।
2. यह प्रपत्र केवल पार्टी की जानकारी हेतु दिये है।
3. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

उपायुक्त जोन–17
जविप्रा, जयपुर

तहसीलदार ... 17
जविप्रा, जयपुर

Work Destail\Raghvendra\U.O.Note\Zone-17

उपायुक्त जोन 17 के दिनांक 12/11/2014 के यू.ओ.नोट के अनुसार खसरा न. 117 में आने वाले भूखंडों को पट्टे नहीं देने का निर्णय किया गया है,जिसमे विवादित प्लाट 86 भी है|

ना कोई F.I.R. ना कोई मुकदमा ना कोई नोटिस फिर भी पुलिस का दबाव ऐसा जैसे कोई बड़ा अपराध किया है|

महावीर सिंह के अनुसार,पुलिस लगातार उनपर उनके मकान के कागजात देने का दबाव बनाती रही,जब महावीर सिंह ने इंचार्ज साहब से सम्बंधित मुकदमे,F.I.R.,नोटिस की कॉपी मांगी तो बताया कि ऐसी कोई वजह नहीं है,केवल किशन सिंह द्वारा परिवाद दिया गया है|

पीड़ित महावीर सिंह को हमले की थी आशंका,सी.एम पोर्टल पर दिया था परिवाद

थाना पुलिस,किशन सिंह और उनके सहयोगियों के हाव-भाव और व्यवहार से पीड़ित महावीर सिंह को किसी अनिष्ट की आशंका हो गयी थी ,उनके द्वारा थाना इंचार्ज को बताया भी गया था परन्तु थाना इंचार्ज ने कोई तव्वजो नहीं दी|इस आशंका को देखते ही पीड़ित द्वारा 21/09018 को सी.एम.हेल्पलाईन पर परिवाद संख्या 09180674407488 दर्ज करवा कर अपने उपर होने वाले हमले की आशंका से पुलिस को अवगत करवा दिय था|

परिवार के मुखिया महावीर सिंह के पास 20/09/2018 को करणी विहार थाने से फ़ोन आया कि इंचार्ज साहब से तुम्हे थाने में बुलाया है अपने प्लाट के कागजात ले कर इंचार्ज साहब के सामने पेश हो|इस पर जब वह थाने पहुंचे तो वहां किशन सिंह ,माधोदान सिंह अपने कई आदमियों के साथ इंचार्ज संजय गोदारा के सामने

तेरे इस प्लाट पर गाय-भेसं बांधुगा|

किशन सिंह के साथ आने वालों में एक माधोदान सिंह भी है जो अपने आप को पुलिस का पूर्व अधिकारी बता,पुलिस से इस प्लाट को कब्जे में करने की धमकी देने लगा था| उसने कई बार धमकाते हुए कहा था कि उसकी पुलिस में तगड़ी सेटिंग है और उसने कई प्लाट खाली भी करवाये है इस प्लाट पर भी कब्ज़ा कर अपनी गाय भेसं बांधुगा|

बैठा हुआ था |इंचार्ज ने उन्हें धमकाते हुए प्लाट के कागजात बताने को कहा|महावीर सिंह द्वारा अपने पेपर बताने पर इंचार्ज ने मामले से सम्बंधित सभी पेपर्स मय अदालती आदेश लाने को कहा और दोनों पक्षों को मौखिक पाबन्द कर दिया कि दोनों पक्ष इस विवादित प्लाट पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तथा यथा स्थिति बनाए रखने के लिए मौका मुआयना करने के किये थाने के हेड कोंस्टेबल वीरेंद्र सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त कर दोनों पक्षों के साथ प्लाट पर भेज दिया|जहाँ हेड कोंस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने मौका मुआयना कर प्लाट का नक्शा बना लिया और अपने मोबाईल से फोटो ग्राफी की|

महावीर सिंह ने जांच अधिकारी से सोमवार 24/09/2018 तक अपने कागजात पेश करने का समय मांगा,जिसपर जांच अधिकारी ने हामी भर दी|

थाने की मिलीभगत हुई उजागर

इस पुरे मामले में करणी विहार थाने की भूमिका संदिग्ध रही है|घटना स्थल के एक पल पल की जानकारी थाने तक पहुचाई जा रही थी |घटना स्थल की फुटेज के अनुसार शाम 4.19 पर

समाजकंटकों ने घर पर हमला किया और पीड़ितों के बार बार फ़ोन करने पर एक घंटे बाद 5.19 पर पुलिस घटना स्थल पर पहुची और पहुचकर पीड़ित के भाई अर्जुन सिंह और प्लाट के दावेदार किशन सिंह को मौके से गिरफ्तार करके ले गयी बाकी घटनास्थल पर मौजूद 10-15 उत्पातियों को कुछ नहीं कहा बल्कि 6.12 बजे गिरफ्तार किशन सिंह वापस घटना स्थल पर आ गया और प्लाट पर कब्ज़ा कराने का निर्देशन देने लगा|पुलिस के जाने के बाद भी घटना स्थल पर

5.19 पर अर्जुन सिंह और किशन सिंह को थाने ले जाती पुलिस

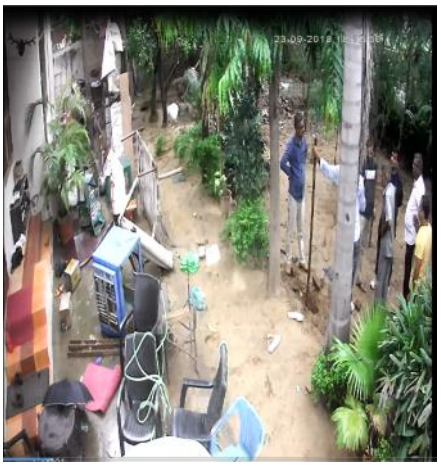

6.11 मिनिट पर निदेश देता किशन सिंह

मौजूद समाज कंटक नहीं रुके और बड़े इत्मिनान से प्लाट से बचा कूचा सामान हटाने लगे और घटना स्थल पर जे.सी.बी. ले आये जो प्लाट की दीवार,निर्माण और मौके पर मौजूद हरे -भरे पेड़ों को तोड़ कर चली गयी|पुलिस को फ़ोन पर फ़ोन करने के बावजूद वापस नहीं आई|

पुलिस के संरक्षण में ढाई घंटे चला तांडव

यह पूरा घटनाक्रम करीब ढाई घंटे चला,इस घटना में पुलिस की भूमिका ही मुख्य मानी जा रही है क्युकि थाने से महज 2 की.मी. दूर इस घटना को बिना पुलिस की रजामंदी के किया जाना नामुमकिन था|

थाना इंचार्ज संजय गोदारा एक बार भी मौके पर नहीं आये,ना ही किसी बड़े अधिकारी को इस घटना की सूचना दी|

मीडिया की भूमिका सराहनीय

रात को मीडिया द्वारा इस घटना को प्रमुखता से उठाने पर पुलिस बैकफुट पर आई,और सभी बलवाई मौके से फरार होकर थाने में जा बैठे,नहीं तो उनकी तैयारियों को देखते हुए लगता था कि वे लोग प्लाट पर कच्चा मकान बनाना चाहते थे|रात भर बलवाइयों की गाड़ियाँ प्लाट के आस-पास चक्कर काटती रही|

गिरफ्तार हुए अर्जुन सिंह के साथ थाने में पुलिस कर्मियों और बलवाइयों ने किया दुर्व्यवहार

पुलिस घटना स्थल से पीड़ित के भाई अर्जुन सिंह को उठा लायी थी,जिससे पुरे थाने में जश्न का माहौल हो गया,उसे किसी से बात तक नहीं करने दी,उससे मिलने आने वाले इक्का दुक्का व्यक्तियों को थाने वालों ने यह कहकर डरा-धमकाकर भगा दिया कि इनकी तरफदारी करोगे तो तुम्हे भी एक सौ इकावन में बंद कर देंगे,जिससे दहशत में सभी मिलने वाले थाना छोड़ कर चले गये|रात होते होते घटना स्थल के सभी बलवाई थाने पहुँच गए और अर्जुन सिंह को डराने धमकाने लगे|उसे धमकी देने लगे कि तेरे घर की बहु बेटियों को अब हम रोज परेशान करेंगे|यह तो एक शुरुआत है,देखते है कि तुम लोग कैसे इस प्लाट को खाली नहीं करोगे|

थाने में हुई शराब पार्टी

घटना स्थल पर कार्यवाही को अंजाम देने के बाद सभी बलवाई थाने में इकट्ठा हो गए और थाने में ही जम कर शराब पार्टी की और अपनी जीत का जश्न मनाया|

थाने में हुआ अर्जुन सिंह के मानवाधिकारों का हनन|

फ़ोन नहीं करने दिया

अर्जुन सिंह के मुताबिक उसे मोबाईल तक रखने की इजाजत नहीं दी गयी उसने जब थाने के फोन से अपने घर वालों से बात करने की इजाजत मांगी तो यह कह कर बात नहीं करने दी कि इस फोन से आउट गोइंग नहीं है केवल इनकमिंग है|

विरोधियों के साथ मेडिकल के लिये भेजा|

गिरफ्तारी की रात को अर्जुन सिंह और किशन सिंह का मेडिकल करवाने के लिए थाने वालों ने आरोपियों के साथ ही मेडिकल करवाने थाने की गाडी में नहीं भेज कर,आरोपियों की गाडी में ही भेज दिया,जिसके साथ दो तीन गाड़ियों में अन्य बलवाई पीछा कर रहे थे|पुरे रास्ते आरोपी गण अर्जुन सिंह को जान से मारने की धमकी देते रहे|

पाखाना तक नहीं जाने दिया|

थाने वालों ने अर्जुन सिंह को पाखाने तक भी नहीं जाने दिया कहाँ जो करना है इसी हवालात में कर ले,ज्यादा होशियार मत बन|

रात भर सोने नहीं दिया|

दर्द से परेशान अर्जुन सिंह को जब थकान के कारण नींद आने लगी तो थाने की बीट ने उन्हें सोने नहीं दिया|थाने वाले रात भर अर्जुन सिंह को जगाते रहे,बोलते रहे कि क्या यहाँ सोने आया है क्या?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद थानों में कैमरे चालु नहीं

थानों में बंदियों से होने वाले अत्याचारों और परिवादियों से होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी थानों में सी.सी.टीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए थे,जिसकी पालना में कैमरे लगवा भी दिए परन्तु या तो वह चालु नहीं है या फिर खराब है|यही हालत करणी विहार थाने में लगे कैमरों की है जो इन घटना को रिकोर्ड करने में नाकाम रहे|

करणी विहार थाना शुरू से रहा विवादों में

करणी विहार थाना अपनी स्थापना के समय से विवादों में रहा है,रिश्वत के मामलों में कई अधिकारी और कर्मचारी पकडे भी गए है,जिसमे एक तो थाना इंचार्ज भी रहा है|

थाना इंचार्ज संजय गोदारा की भूमिका संदिग्ध

इस पुरे घटनाक्रम में थाना इंचार्ज संजय गोदारा की भूमिका संदिग्ध रही है उनके द्वारा शुरू से ही हमलावरों का पक्ष लिया जा रहा था,और पीड़ित को दबाने का कार्य किया जा रहा था|इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद थाना इंचार्ज घटना के 16 घंटे के बाद एडी.एस.पी. रतन सिंह के साथ मौका मुआयना करने पहुचे|जबकि पीड़ित उनके थाने का ही सीएलजी सदस्य है|

23/09/2018 को हुई दिनदहाड़े हुई घटना का सचित्र वर्णन

दोपहर 4.19 पर सबसे पहले 5 बलवाई RJ14XC9555 नंबर की कार से आये और प्लाट की दिवार तोड़ने लगे

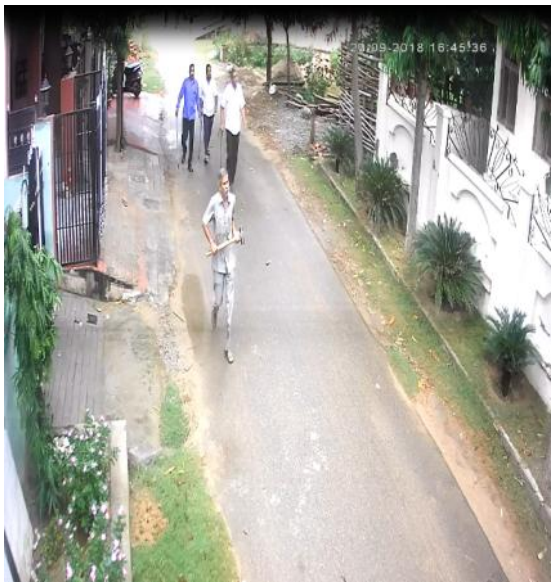

अर्जुन सिंह के रोकने पर बलवाई उससे लड़ने लगे,तथा धमकाने लगे।

परिवार के आ जाने से बलवाई 04.26 पर भाग गए।

4.45 मिनट पर किशन सिंह,माधोदान सिंह गिरधर सिंह अपने 15-20 साथियों के साथ हथौड़े,सरिये,लाठी अन्य हथियार लेकर प्लाट पर कब्ज़ा करने के लिए प्लाट की तरफ बढे।

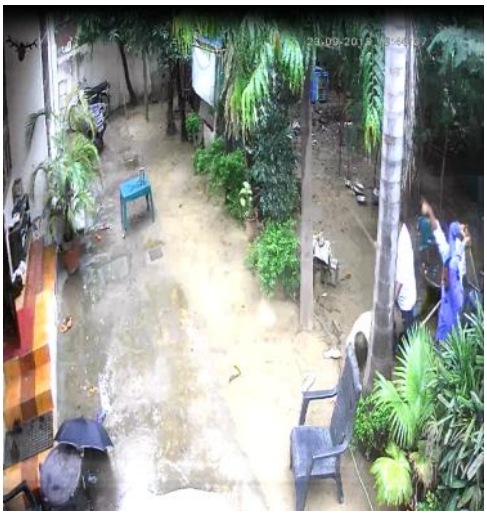

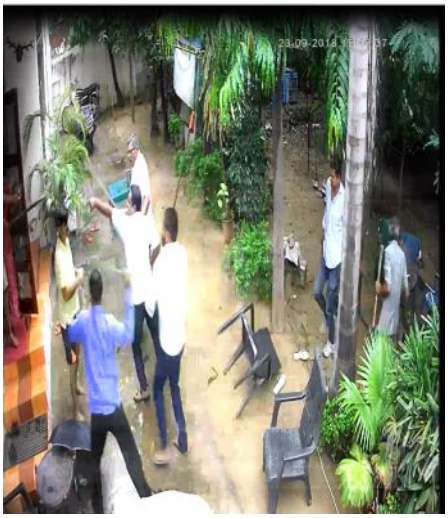

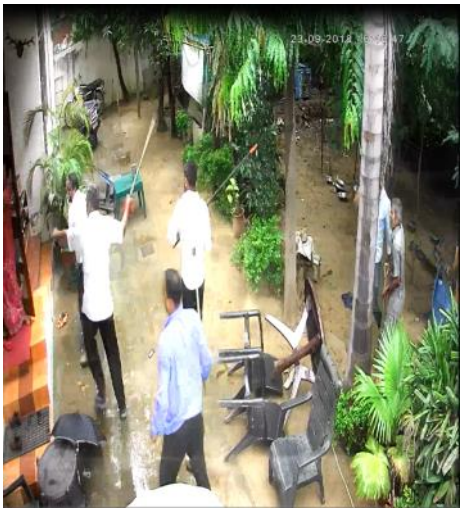

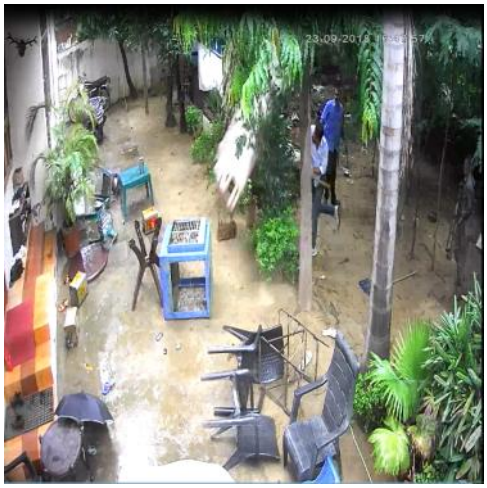

यह सभी बलवाई प्लाट की दिवार तोड़कर अंदर आने लगे,विरोध करने पर अर्जुन सिंह को बुरी तरह पीटा,विरोध करने आये परिवारजनों को भी नहीं बक्शा,उनको धमकाने लगे तथा सब को जान से मारने की धमकी देने लगे।प्लाट में रखे सामानों को उठा-उठा कर फैकने लगे।बीच-बीच में बलवाई डरे-सहमे परिवार को ललकारते रहे।इसी बीच परिवार पुलिस को फोन करता रहा परन्तु पुलिस नहीं आई।अड़ोसी-पडोसी डरकर घरों में छुप गए,कोई मदद को आगे नहीं आया।

प्लाट की दिवार तोड़ते बलवाई

कैमरे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते बलवाई

करीब 5.16 बजे पुलिस की चेतक मौके पर पहुची,जिसमे तीन-चार पुलिस वाले थे,उन्होंने घर में मौजूद अर्जुन सिंह को बुलाया और थाने चलने को कहा,जब अर्जुन सिंह ने इसका विरोध किया और सभी बलवाइयों को पकड़ने को कहा तो पुलिस ने कहा कि तू साले भूमाफिया है चल हमारे साथ थाने हम सब जानते है तेरे बारे में ।

इसी बीच माधोदान जो कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी है,वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को निर्देश देता रहा।और उनके सामने ही अर्जुन सिंह को कहा कि अपने भाई को कहाँ छिपा रखा है उसको भी बाहर निकाल,आज उसका भी काम तमाम करते है।

शाम 5.19 बजे पुलिस अर्जुन सिंह और बलवाई किशन सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गयीमौके पर मौजूद अन्य बलवाइयों को कुछ नहीं कहा।

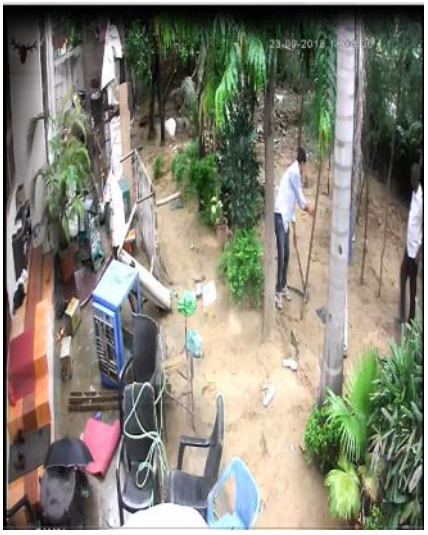

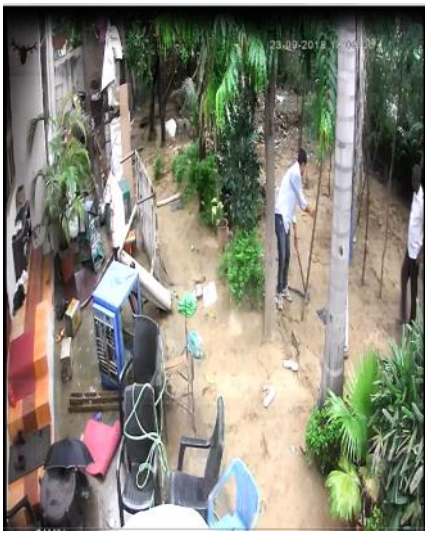

पुलिस के जाते ही सभी बलवाई प्लाट पर आ गए और कच्चा मकान बनाने के लिए लोहे के पाईप गाड़ने लगे।

परन्तु पुलिस की गिरफ्तारी के आधे घंटे बाद ही 6.11 मिनिट पर किशन सिंह पुनः मौके पर आकर बलवाइयों को कब्जे करने के निर्देश देने लगा। किशन सिंह के मौके पर होना पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत को पुख्ता करता है।

शाम 6.23 मिनिट पर बलवाई मौके पर जे.सी.बी. ले आये और मौके पर मौजूद हरे पेड़ों को माधोदान सिंह ,किशन सिंह और गिरधर सिंह के निदेशन में काट कर प्लाट को समतल करने लगे|

घटना के बाद मौके पर पड़े बलवाइयों के टीन-लोहे का दरवाजा,टूटी दीवारे,कटे पेड़,फैला सामान